न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 151/2018 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2018/00085**
दायर दिनांक :— 26.10.2018 **निर्णय दिनांक :— 22.05.2026**

1. इलमदीन पुत्र निजामदीन जाति मुसलमान निवासी घंटियाली तह. घंटियाली जिला फलोदी

—वादी

बनाम

1. कासमदीन पुत्र निजामदीन जाति मुसलमान निवासी घंटियाली तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

—प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी
2. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रतिवादी
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

—:: निर्णय ::—

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम घंटियाली पटवार क्षेत्र घंटियाली तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 268/2 रकबा 15—00 बीघा, खसरा नम्बर 268/3 रकबा 15—00 बीघा कुल रकबा 30—00 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज है इसी अनुसार उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है। वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की राजस्व अभिलेख में सामलाती दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री करणीसिंह राठौड़ ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनकर ग्राम घंटियाली पटवार क्षेत्र घंटियाली तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 268/2 रकबा 15—00 बीघा, खसरा नम्बर 268/3 रकबा 15—00 बीघा कुल रकबा 30—00 बीघा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत प्राथमिक डिकी जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर एतराज प्रस्तुत करने पर विभाजन प्रस्ताव पुनः नियम 18 से 21 की पालना करते हुए पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

घंटियाली ने नियम 18 से 21 की पालना करते हुवे स्वयं मौके पर उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अन्तिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की अक्षरशः पालना करते हुवे तैयार कर तहसीलदार, घंटियाली द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार घंटियाली द्वारा राजस्व ग्राम घंटियाली पटवार क्षेत्र घंटियाली तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 268/2 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268/3 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	इलमदीन पि. निजामदीन जाति मुसलमान सिपाई सा. देह खातेदार	घंटियाली	268/2	2.4281 हैक्टेयर	बी–3
2	कासमदीन पि. निजामदीन जाति मुसलमान सिपाई सा. देह खातेदार	घंटियाली	268/3	2.4281 हैक्टेयर	बी–3

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में कायम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्य नारायण, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. इलमदीन पुत्र निजामदीन जाति मुसलमान निवासी घंटियाली तह. घंटियाली जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. कासमदीन पुत्र निजामदीन जाति मुसलमान निवासी घंटियाली तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 151/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण–I, पीठासीन अधिकारी व हाजिर श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम घंटियाली पटवार क्षेत्र घंटियाली तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 268/2 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 268/3 रकबा 2.4281 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	इलमदीन पि. निजामदीन जाति मुसलमान सिपाई सा. देह खातेदार	घंटियाली	268/2	2.4281 हैक्टेयर	बी–3
2	कासमदीन पि. निजामदीन जाति मुसलमान सिपाई सा. देह खातेदार	घंटियाली	268/3	2.4281 हैक्टेयर	बी–3

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में कायम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुताल्लिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.05.2026 को जारी की गई।

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।